कार्यालय– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalofficerddn@gmail.com
Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–2507 / 12-1 :देहरादूनः दिनांकः 25. मई, 2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमांऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद–चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर–पिथौरागढ़ एन0एच0 125 (नया–09) चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.94 है0 वन भूमि का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal no. FP/UK/ROAD/31090/2017)

संदर्भ :– आपका पत्रांक 2938 / 12–1(2) दिनांक 09.05.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगतनीय है विषयांकित प्रकरण के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा आर0ई0सी0 बैठक दिनांक 27.10.2023 के द्वारा चाही गयी सूचना आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। सूचना का अवलोकन से दृष्टिगत हुआ है कि भारत सरकार के उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दु संख्या 01 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजना से उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु स्थलों को के0एम0एल0 फाईल में अंकित नहीं गया है। बिन्दु संख्या 02 के सम्बन्ध में भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है कि मलवा निस्तारण स्थलों पर वृक्षों का पातन निहित है अथवा नहीं एवं बिन्दु संख्या 03 के सम्बन्ध में मलबा डंपिंग हो जाने के बाद, वन भूमि में प्रस्तावित मलबा .डंपिंग के क्षेत्र को स्थिर कर वन विभाग को वापस किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत पुनर्ग्रहण योजना उपलब्ध करायी जानी है, इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण एक महत्वपूर्ण प्रकरण है, जिसका निश्चित समयावधि के अन्तर्गत निस्तारण किया जाना अपरिहार्य है। उक्त से प्रतीत होता है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रकरण के निस्तारण में रूचि नहीं ली जा रही है और प्रकरण लम्बी अवधि से लम्बित चला आ रहा है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण में भारत सरकार द्वारा चाही गयी बिन्दुओं स्पष्ट सूचना सम्बन्धितों से प्राप्त कर अपनी संस्तुति सहित ऑनलाईन / ऑफलाईन इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या–2507 / 12-1 दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।
2. अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट, (चम्पावत)।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।